

## कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 80 / 2023

(MES-511766) Namoram Meena JE (QS&C) O/o Garrison Engineer Military Engineer Services Basoli (J&K) PIN 184152

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्टर, भरतपुर

..रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 03.01.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त (MES-511766) Namoram Meena JE (QS&C) O/o Garrison Engineer Military Engineer Services Basoli (J&K) PIN 184152 की अपील विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्टर, भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/23/798 दिनांक 15.12.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लो.सू.अधि. प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्टर, भरतपुर के पत्रांक सामान्य/अपील/2023/10226 दिनांक 20.12.2023 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से बिन्दुवार 1 लगायत 6 की सूचना चाही गई थी। चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पुलिस विभाग से सम्बन्धित होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत कार्यालय के पत्रांक सामान्य/RTI (117)/2023/6975 दिनांक


(2)

आरटीआई/अपील/2023/80  
नमोराम मीणा बनाम प्रभारी अधि० सामान्य कलै० भरतपुर.

28.07.2023 से जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भिजवा दी गई थी एवं इस बाबत प्रार्थी को भी कार्यालय के पत्रांक सामान्य/RTI (117)/2023/6976-77 दिनांक 28.07.2023 से सूचित भी कर दिया गया था।

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि अपीलान्त द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर के स्तर पर लम्बित नहीं है। प्रार्थी चाही गई सूचना के सन्दर्भ में नियमानुसार जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर कार्यालय में पत्राचार/सम्पर्क करें।

लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्त खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्त को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

  
(लोक बंधु)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर